संख्या-107/2016/आर-1470/26-3-2016-रिट(24)/2014

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 18 मई, 2016

विषयः- रिट याचिका संख्या-3986/2014 न्यू आदर्श इन्स्टीट्यूट आफ एजूकेशन गाजियाबाद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-23.07.2014 एवं अवमानना याचिका संख्या-1886/2014 में पारित आदेश दिनांक-11.05.2016 के अनुपालन हेतु दशमोत्तर अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-299/स.क./शिक्षा-अ/2016-17, दिनांक-12.05.2016 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक-23.07.2014 एवं दिनांक-11.05.2016 के अनुपालन में याची शिक्षण संस्था में वर्ष 2013-14 में अध्ययन प्राप्त अनुसूचित जाति के 104 छात्र-छात्राओं की अवशेष दशमोत्तर अनुसूचित जाति शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि रूपये-48,65,250/-(रूपये अडतालिस लाख पैसठ हजार दो सौ पचास मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-83 के योजनान्तर्गत आयोजनागत पक्ष मे प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी है, से व्यय/भुगतान की अनुमति मा0 उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-142/2016 यू0पी0स्टेट बनाम न्यू आदर्श इन्स्टीट्यूट एजूकेशन, गाजियाबाद में पारित अन्तिम आदेश के अधीन प्रदान की जाती है।

2. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ.संख्या-107/2016/आर-1470/26-3-2016 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. मुख्य स्थाई अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in